तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/एल आर/3167/2004/बीकानेर **बालकिशन बनाम यादवेन्द्र सिंह व अन्य**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री बद्रीप्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री वी.एस.राठौड अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 12–7–04 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज किया है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम चानी तहसील कोलायत में पुराना खसरा नम्बर 39 नया खसरा नम्बर 35 में से नया रास्ता राजस्व रेकार्ड में निकालने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से बिना सूचित किये एकतरफा तौर पर दिनांक4–7–03 को नया रास्ता रेकार्ड में कायम करने का आदेश दे दिया। यह आदेश किस कानून में दिया गया, इसका निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है। जब प्रार्थी को जानकारी हुई तो उसके द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया कि उक्त आदेश पारित करने का उन्हें क्षेत्राधिकार नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से रेकार्ड पर दिखाई देने वाली त्रुटि है। अगर कोई रास्ता पहले से कायम हो और मौके पर बन्द कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में धारा 251 के तहत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर रास्ता खुलवाया जा सकता है। जहां तक नया रास्ता कायम करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल आर/3167/2004/बीकानेर</u>** **<u>बालकिशन बनाम यादवेन्द्र सिंह व अन्य</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सम्बन्धित पक्षकारों को दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। मगर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर किसी की खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता रेकार्ड में कायम नहीं किया जा सकता। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगराधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि नजरसानी का दायरा सीमित होता है। नजरसानी के माध्यम से प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 2005(12)पेज 290 की नजीर पेश की।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर.बी.जे. (12) पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि The scope of Review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 41 Rule 1 C.P.C. if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying cxercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 C.P.C., it is note permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review .jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be apeal in disguise**."**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1995(एस.सी) पेज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल आर/3167/2004/बीकानेर</u>** **<u>बालकिशन बनाम यादवेन्द्र सिंह व अन्य</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

455 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी यह स्पष्ट है कि नजरसानी की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए। नजरसानी की शक्ति का उपयोग केवल मात्र उस स्थिति में ही किया जाना चाहिए जबकि आक्षेपित आदेश में अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) रह गयी हो। किन्तु नजरसानी का आधार यह नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने मात्र से नज़र आवे और जिसे समझने के लिये तर्क–वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। पुनर्विलोकन बाबत् विधि की स्थिति स्पष्ट है कि गलत निर्णय (erroneous decision) एवं अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अन्य विधिक उपचार करने के लिये स्वतंत्र है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य